



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09082024-256232  
CG-DL-E-09082024-256232

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3079]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 9, 2024/श्रावण 18, 1946

No. 3079]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 9, 2024/SHRAVANA 18, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2024

का.आ. 3233(अ).—केंद्रीय सरकार, जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा अगस्त 2024 के नौवां दिन को तिथि के रूप में निर्धारित करती है, जिस दिन चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) से संबंधित उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के संबंध में उक्त अधिनियम के उपबंध प्रभावी होंगे।

[फा. सं. के-58013/8/2023-प्लांट(कोऑर्ड)]

अमरदीप सिंह भाटिया, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2024

S.O. 3233(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023), the Central Government hereby appoints the 9th day of August, 2024 as the date on which the provisions of the said Act, insofar as it relates to serial number 12 and the entries relating thereto in the Schedule to the said Act relating to the Tea Act, 1953 (29 of 1953), shall come into force.

[F. No. K-58013/8/2023-PLANT(COORD)]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Addl. Secy.